

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

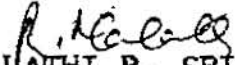
New Delhi, the 24th March, 1999

NOTIFICATION

F.No. (204/17/97-ITA.II). It is notified for general information that M/s. Andhara Bank Housing Finance Limited, 1st Floor, United India Insurance Bldg., Basheerbagh, Hyderabad-500029 has been approved by the Central Government for the purposes of Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 for the assessment years 1998-99 & 1999-2000.

2. The approval is subject to the condition that:

- (i) the company has the main object to carrying on the business of providing long term finance for construction or purchase of houses for residential purposes;
- (ii) the company submits every year a copy of its audited profit and loss account and balance-sheet alongwith a statement of deduction claimed under this section before its due date for filing return of income under section 139(1) of the Income-tax Act, 1961.
- (iii) special reserve as required is created and maintained as per the Act; and
- (iv) all other conditions contained in section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961 are fulfilled.


(MALATHI R. SRIDHARAN)

Under Secretary to the Govt. of India.

Notification No. 10835 (F.No. 204/17/97-ITA.II)

To,

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. M/s. Andhara Bank Housing Finance Limited, Hyderabad.
2. All CCsIT and DsGIT.
3. C&AG of India (40 copies).
4. Joint Secy. & Legal Advisor, Ministry of Law, New Delhi.
5. Addl. Secy. (Admn.) Department of Revenue, New Delhi.
6. Bulletin Section, DIT (RSPD), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 36(1)(i) में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त विभाग
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 1999

अ धि सू च ना

क्र० सं० फा० सं० 204/17/97-आयकर नि०-II के तर्ज साधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सैलर्स अगन्धा बैंक हाऊसिंग फाइनेस लि०, प्रथम तल, यूनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेस भवन, बशीरबाग, हैदराबाद-500029 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(i) के प्रयोजनार्थ कर निधारण वर्ष 1998-99 से 1999-2000 तक के लिए अनुमोदित किया गया है ।

2. यह अनुमोदन इस शर्त पर दिया जाता है :-
- §18 कम्पनी का मुख्य उद्देश्य आवासीय उद्देश्यों के लिए मकानों का निर्माण करने अथवा उनकी खरीद करने के लिए दीर्घ-कालिक वित्त व्यवस्था करना है;
 - §118 कम्पनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी दायर करने की इसकी देय तारीख से पूर्व इस धारा के अधीन दावा की गई कटौती के विवरण सहित इसके लेखा परीक्षित लाभ और हानि के खाते और अधोपत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष प्रस्तुत करती है ।
 - §1118 अधिनियम के अनुसार यथा-अपेक्षित विशेष आरक्षण का सृजन और उनका अनुसरण किया जाता है ; और
 - §11/8 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 §18 §1/1118 में निहित सभी अन्य शर्तें पूरी की जाती हैं ।

२५/३/९९
~ गालकी गारो श्रीधरन
अवर सचिव, - भारत सरकार

अधिसूचना सं० : 10835
सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
भाड़ापुरी, नई दिल्ली ।

फा० सं० 204/17/97-आयकर नि०-II